दिल्ली उच्च न्यायालय: नई दिल्ली

ले.पे.अ. **734/2018**

भारत का संघ ....अपीलार्थी

द्वारा : श्री अमित महाजन, के.स.स्था.अधि. सह
श्री ध्रुव पांडे, अधिवक्ता

बनाम

केंद्रीय सूचना आयोग एवं अन्य ...प्रत्यर्थीगण

द्वारा : श्री शिव कुमार, प्र.-2 हेतु अधिवक्ता सह
प्र.-2 व्यक्तिगत रूप से|

निर्णय की तिथिः 22 मार्च, 2023

कोरम :
माननीय न्यायमूर्ति श्री मनमोहन
माननीय न्यायमूर्ति श्री सुधीर कुमार जैन

<u>निर्णय</u>

<u>न्या.,मनमोहन (मौखिक)</u>

1. वर्तमान अपील माननीय मुख्य न्यायाधीश के न्यायालय से स्थानांतरण के माध्यम से प्राप्त हुई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 1 अक्टूबर, 2021 के आदेश द्वारा उच्च न्यायालय को आठ सप्ताह के भीतर रिट याचिका पर फैसला करने का निर्देश दिया था | अतः इस मामले को प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई के लिए लिया गया था ।

2. यह उल्लेख करना उचित है कि वर्तमान अपील, रि.या.(सि.) संख्या 13257/2018 में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा जारी दिनांक 07 दिसम्बर 2018 के आदेश को चुनौती देते हुए दायर की गई है ।

<u>प्रासंगिक तथ्य</u>

3. संक्षेप में कहा जाए तो, वर्तमान मामले के प्रासंगिक तथ्य यह हैं कि प्रत्यर्थी सं.2 प्रवर्तन निदेशालय (प्र.नि.) में अधीक्षक प्रशासन के रूप में कार्य कर रहा है| उन्होंने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (एतद पश्चात 'आर.टी.आई. अधिनियम' के रूप में संदर्भित) के तहत एक आवेदन दायर किया था, जिसमें निम्नलिखित सूचना मांगी गई थी:-

> *(1) 1991 से लेकर अब तक की अवधि के लिए अ.श्रे.लि. के संबंध में सभी वरिष्ठता सूची की प्रतियां;*
>
> *(2) बैठक के कार्यवृत की प्रतियों के साथ वि.प.स. के समक्ष अ.सं.लि. की पदोन्नति के प्रस्ताव की प्रतियां और समय-समय पर वि.प.स. की सिफारिशों पर जारी पदोन्नति आदेशों की प्रतियां ।*

4. मु.सू.आ. द्वारा उपर्युक्त सूचना अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी सं. 2 को प्रदान किए जाने के लिए निदेशित किया गया था | उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थी ने रि.या.(सि) 13257/2018 दायर की थी। हालांकि, कथित रिट याचिका को विद्वान एकल न्यायाधीश के दिनांक 7 दिसंबर, 2018 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था, जो इस प्रकार हैं :

"चूंकि प्रत्यर्थी वरिष्ठता के सम्बन्ध में पूर्वाग्रहों का सामना कर रहा था, इसलिए उसने ऊपर उल्लिखित सूचना मांगी, जो न तो आसूचना, न सुरक्षा और न ही याचिकाकर्ता संगठन की गोपनीयता को बाधित करती है / यद्यपि याचिकाकर्ता संगठन को आरटीआई अधिनियम से दूर रखा गया है, लेकिन यह उसके कर्मचारी को दी जाने वाली सूचना के सम्बन्ध में नहीं है, यदि उसके किसी भी अधिकार का प्रत्याख्यान हुआ है।

याचिकाकर्ता से प्रत्यर्थी द्वारा मांगी गई सूचना अधिनियम की धारा 24 के अंतर्गत नहीं आती है /

तदनुसार, मुझे मु.सू.आ. के दिनांक 09.10.2018 के आदेश में कोई अवैधता या विकृति नहीं मिली।"

5. वर्तमान लेटर पेटेंट अपील दायर किए जाने के बाद, विद्वान पूर्ववर्ती खण्ड पीठ ने 21 दिसंबर, 2018 के आदेश द्वारा नोटिस जारी किए थे। हालांकि, अपीलार्थी द्वारा स्थगन के लिए दायर आवेदन का निपटान इस प्रकार किया गयाः

*....." **<u>सि.वि.सं. 54608/2018</u>***

रिट याचिका के परिणाम के अध्यधीन और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि मांगी गई सूचना केवल प्रत्यर्थी सं.2 का सेवा विवरण जैसे वरिष्ठता सूची और वि.प.स. है मांगी गई सूचना प्रत्यर्थी सं.2 को प्रदान की जाए| सूचना का अधिकार अधिनियम की सुनवाई के समय लागू करने के संबंध में कानूनी आपत्तियों पर विचार किया जाएगा।

तदनुसार, आवेदन का निपटान किया जाता है।"

6. अपीलार्थी ने 21 दिसम्बर, 2018 के स्थगन (स्टे) न किए जाने के पूर्वोक्त आदेश को चुनौती देते हुए एक विशेष अनुमति याचिका दायर की थी | उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 1 अक्टूबर, 2021 के आदेश द्वारा अपीलार्थी द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका का निपटान इस न्यायालय को यह निदेशित करते हुए किया कि वह अपीलार्थी पर आरटीआई अधिनियम की प्रयोज्यता के सन्दर्भ में मामले पर फैसला दें और उसके बाद रोक के आवेदन पर निर्णय ले। उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी दिनांक 1 अक्टूबर, 2021 के आदेश को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

"<u>आदेश</u>

अनुमति दी जाती हैं।

पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुना।

आक्षेपित आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने, एक अंतरिम आदेश के माध्यम से, अपीलार्थी को वरिष्ठता सूची और वि.प.स. आदि के लिए मांगी गई सूचना प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है, जो सूचना का अधिकार अधिनियम (संक्षेप में 'आरटीआई अधिनियम') के प्रावधानों के तहत मांगी गई है। विभाग की ओर से यह विशिष्ट मामला था/है कि आरटीआई अधिनियम संगठन/विभाग पर लागू नहीं था। उपरोक्त के बावजूद और इस तरह की आपत्ति पर निर्णय किए बिना, उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी को आरटीआई अधिनियम की प्रयोज्यता पर निर्णय किए बिना आरटीआई अधिनियम के तहत मांगे गए दस्तावेजों

को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। यह घोड़ा गाडी को घोड़े से पहले रखने जैसा हैं | उच्च न्यायालय को पहले संगठन/विभाग पर आरटीआई अधिनियम की प्रयोज्यता के संबंध में मुद्दे का निर्णय करना चाहिए था।

इन परिस्थितियों में, 2018 की लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 734 के अंतर्गत 2018 की सि.वि. सं. 54608 में उच्च न्यायालय द्वारा जारी आक्षेपित आदेश को एतद द्वारा ख़ारिज और रद्द किया जाता है।हम उच्च न्यायालय को निर्देश देते हैं पहले अपीलार्थी संगठन/विभाग पर आरटीआई अधिनियम की प्रयोज्यता के संबंध में मुद्दे पर निर्णय लें और उसके बाद स्थगन आवेदन/ लेटर्स पेटेंट अपील पर निर्णय लें।

वर्तमान अपील को आंशिक रूप से उपर्युक्त सीमा तक अनुमति दी गई है।

कोई लागत नहीं।"

<u>अपीलार्थी के ओर से तर्क</u>

7. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री अमित महाजन प्रस्तुत करते हैं कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने आक्षेपित आदेश पारित करते समय यह कहा है कि प्रत्यर्थी सं. 2 द्वारा मांगी गई सूचना आरटीआई अधिनियम की धारा 24 के दायरे में नहीं आती है। वे प्रस्तुत करते हैं कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने अपने इस अभिनिर्धारण में गलती की है कि प्रत्यर्थी सं. 2 को सूचना प्रदान की जानी चाहिए चूँकि यह अपीलार्थी/ संगठन की आसूचना या सुरक्षा एवं गोपनीयता से सम्बंधित नहीं हैं |

8. अपीलार्थी के विद्वान वकील की दलील है कि आरटीआई अधिनियम की धारा 24(1) स्पष्ट रूप से अधिनियम की दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट आसूचना और सुरक्षा संगठनों को अधिनियम के दायरे से बाहर रखती है। वह आगे प्रस्तुत करते हैं आरटीआई अधिनियम के दूसरी अनुसूची में उल्लिखित संगठनों को विधायिका द्वारा सम्पूर्ण उन्मुक्ति प्रदान की गई हैं अतः उन्हें आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत सूचना के प्रकटीकरण के लिए नहीं बुलाया जा सकता हैं | वे आगे यह प्रस्तुत करते है कि धारा 24 के परंतुक में दिया गया इसका एकमात्र अपवाद है कि जब माँगी गई सूचना भ्रष्टाचार के आरोपों एवं मानव अधिकारों के उल्लंघन से सम्बंधित हों (धारा 24(1) का प्रथम परंतुक) |

9. वे आगे प्रस्तुत करते हैं कि अन्य के विपरीत जहां सूचना को रोकना एक अपवाद है निर्दिष्ट संगठनों के संबंध में, सूचना प्रदान करना एक अपवाद है । उनके अनुसार, यह कोई मायने नहीं रखता है कि मांगी गई सूचना आसूचना और संगठन के सुरक्षा कार्य से संबंधित है या नहीं, क्योंकि ऐसे संगठन द्वारा सरकार को केवल भ्रष्टाचार और मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों से संबंधित दी गई सूचना प्रदान करने की अनुमति है और बाकी सब कुछ वर्जित है। अपनी प्रस्तुति के समर्थन में उन्होंने ***डॉ. नीलम भल्ला बनाम भारत संघ और अन्य, ले.पे.अ. 229/2014*** में इस न्यायालय के निर्णय पर विश्वास जताया हैं।

10. उन्होंने अंत में कहा है कि वर्तमान रिट याचिका अनावश्यक है, क्योंकि केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली ने दिनांक 10 अक्टूबर, 2018 के अपने आदेश में पहले ही अपीलार्थी को प्रत्यर्थी द्वारा मांगी गई सूचना प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा दिनांक 10 अक्टूबर, 2018 को पारित आदेश का विवरण नीचे दिया गया हैः-

"अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री अवनीश गर्ग और श्री ज्ञानेन्द्र सिंह, श्री एस. के. त्रिपाठी, प्रत्यर्थीगण के लिए विद्वान अधिवक्ता को सुना और अभिलेख पर रखे अभिवचनों का अवलोकन किया.

<u>वि.आवे. संख्या 753/2018</u>-

इन परिस्थितियों में, विलंब की माफी मांगने वाले वि.आवे. को अनुमति दी जाती है।

<u>मू.आवे. 702/2018-</u>

आवेदक, जो वर्तमान में दूसरे प्रत्यर्थी -प्रवर्तन निदेशालय में एलडीसी (अ.श्रे.लि.)के रूप में काम कर रहा है, ने निम्नलिखित राहत की मांग करते हुए मू.आवे. दायर कियाः-

(क) प्रत्यर्थी सं. 2 को वर्ष 1996 और 1999 में कथित रूप से तैयार की गई एलडीसी (अ.श्रे.लि.) की वरिष्ठता सूची को अभिलेख पर रखने का निर्देश देना |

(ख) प्रत्यर्थी को फा.सं.16/03/2006-एडी. ई. डी. के अधीन आवेदक से संबंधित अभिलेख को अभिलेख पर रखने का निदेश देना।

(ग) ऐसा आगे का आदेश या आदेशों को पारित करें जो यह माननीय अधिकरण उपयुक्त और उचित समझे।"

2. यह आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का संक्षिप्त प्रस्तुतीकरण है कि प्रत्यर्थीगण ने आवेदक द्वारा बार-बार अभ्यावेदन करने के बावजूद, एलडीसी (अ.श्रे.लि.) की श्रेणी में कोई वरिष्ठता सूची जारी नहीं की है तथा इससे आवेदक के वरिष्ठता और आगे की पदोन्नति के अधिकार प्रभावित हो रहे हैं।

3. इन परिस्थितियों में, मामले के गुण-दोषों की जांच किए बिना, प्रत्यर्थीगण को यह निदेश देते हुए कि वे इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तारीख से 60 दिनों की अवधि के भीतर प्रत्यर्थीगण द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले अवर संवर्ग लिपिकों की संभावित अंतिम वरिष्ठता सूचियों की प्रतियाँ अर्थात आवेदक के नियुक्ति की तिथि से आज की तिथि तक की, यदि कोई हो, प्रस्तुत करें, मू.आवे. ख़ारिज की जाती हैं। यदि एलडीसी (अ.श्रे.लि.)की श्रेणी में कोई संभावित/अंतिम वरिष्ठता सूची अस्तित्व में नहीं है, तो उसी समय के अंतर्गत उसे इसकी सूचना दी जाए। कोई लागत नहीं।"

<u>प्रत्यर्थी के ओर से तर्क</u>

11. इसके विपरीत, प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि मांगी गई सूचना के अभाव में, प्रत्यर्थी पदोन्नति के अपने मौलिक और विधिक अधिकार को लागू करने में असमर्थ है। उन्होंने विशेष रूप से जोर देकर कहा कि केंद्रीय

प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा 10 अक्टूबर, 2018 को जारी आदेश के बावजूद, अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी को आज तक कोई सूचना नहीं दी गई है |

<u>न्यायालय का तर्क</u>

<u>अपीलार्थी आरटीआई अधिनियम की दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट एक आसूचना और सुरक्षा संगठन है और उसे भ्रष्टाचार और मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों से संबंधित सूचना को छोड़कर आरटीआई अधिनियम के दायरे से छूट दी गई है</u>

12. चूंकि वर्तमान मामले में मुख्य रूप से आरटीआई अधिनियम की धारा 24 की व्याख्या शामिल है, इसलिए उक्त धारा को यहां नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः-

> *"24. अधिनियम का कतिपय संगठनों को लागू न होना -*
>
> *(1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट कोई बात, केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित आसूचना और सुरक्षा संगठनों को, जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट है या ऐसे संगठनों द्वारा उस सरकार को दी गई सूचना को लागू नहीं होगी: **परन्तु भ्रष्टाचार और मानव अधिकारों के अतिक्रमण के आरोपों से सम्बंधित सूचना इस उपधारा के अधीन अपवर्जित नहीं की जाएगी:***
>
> *परन्तु यह और कि यदि माँगी सूचना मानवाधिकरों के अतिक्रमण के अभिकथनों से सम्बंधित है तो सूचना अनुरोध की प्राप्ति के पैंतालिस दिन के भीतर दी जाएगी |*
>
> *(जोर दिया गया)*

13. इस न्यायालय की एक खण्ड पीठ ने ***ईसाब इंडिया लिमिटेड बनाम विशेष प्रवर्तन निदेशक और अन्य., 2011 एससीसी ऑनलाइन डेल 1212*** वाद में आरटीआई अधिनियम की धारा 24 की संवैधानिक वैधता को बरक़रार रखा गया है | उक्त निर्णय के सुसंगत खंड को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

> *"27. वर्तमान मामले में, जहां तक धारा 24 का संबंध है, यह अपरिहार्य है कि उक्त प्रावधान दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट आसूचना और सुरक्षा संगठनों को अपवर्जित करता है। हम पहले ही दूसरी अनुसूची को पुनः प्रस्तुत कर चुके हैं। याचिकाकर्ता का संबंध प्रवर्तन निदेशालय से है जो दूसरी अनुसूची में क्रम संख्या 5 पर आता है| धारा 24 के पहले भाग में आसूचना और सुरक्षा संगठनों से प्रत्याख्यान किया गया है। पहला प्रावधान यह कहता है कि भ्रष्टाचार और मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों से संबंधित सूचना को उप-धारा के तहत बाहर नहीं रखा जाएगा। इस प्रकार, यह समझा जाता है कि भ्रष्टाचार से संबंधित सूचना और मानवाधिकारों से संबंधित सूचना संरक्षित नहीं है। हमारी सुविचारित राय में, सुरक्षा और आसूचना पहलू पर प्रतिबंध को नहीं रोका जा सकता है क्योंकि जहां तक संप्रभुता और आर्थिक आदेश का संबंध है, इसकी सर्वोपरि भूमिका है। अनुच्छेद 19 (1) (2), जो युक्तियुक्त निर्बन्धन से सम्बंधित हैं, एक ऐसे युक्तियुक्त निर्बन्धन का उल्लेख करता हैं जो राज्य की सुरक्षा, भारत की अखंडता और सार्वजानिक व्यवस्था से संबंधित है।*
>
> *28. हमारी सुविचारित राय में, अधिरोपित निर्बन्धन पूर्णतः युक्तियुक्त हैं और भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एवं*

सूचना के अधिकार के रूप में हैं इसका आत्यन्तिक अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता। इस प्रकार, इस आधार पर प्रस्तुत की गई प्रस्तुतियां अमान्य हैं और तदनुसार हम उनका खंडन करते हैं।"

14. इसमें कोई संदेह नहीं है कि अपीलार्थी आरटीआई अधिनियम की दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट एक आसूचना और सुरक्षा संगठन है और उसे आरटीआई अधिनियम के दायरे से छूट प्राप्त है, सिवाय जब सूचना भ्रष्टाचार और मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों से संबंधित हो। परिणामतः, श्री अमित महाजन द्वारा दी गई प्रस्तुति सही है कि अपीलार्थी से आरटीआई अधिनियम के प्रावधानों के तहत सूचना के प्रकटीकरण के लिए तब तक नहीं कहा जा सकता है जब तक कि मांगी गई सूचना भ्रष्टाचार और मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों से संबंधित न हो।

<u>मानवाधिकारों की अभिव्यक्ति को संकीर्ण या रुढ़िवादी नहीं माना जा सकता। मानवाधिकार प्रगतिशील और परिवर्तनकारी दोनों हैं</u>

15. तदनुसार, वर्तमान मामले में विचार के लिए जो मुद्दा उठता है वह यह है कि क्या प्रत्यर्थी द्वारा मांगी गई सूचना 'मानव अधिकार' अभिव्यक्ति के भीतर आती है।

16. यद्यपि, 'मानव अधिकार' शब्द को आरटीआई अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया है, फिर भी इसे मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 (संक्षेप में '1993 अधिनियम') में परिभाषित किया गया है। 1993 के

अधिनियम की धारा 2(1)(घ) में 'मानव अधिकार' शब्द की परिभाषा का उपबंध किया गया है जो निम्नानुसार हैः

'2. परिभाषाएं - (1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-

xxxx xxxx xxxx

(घ) " मानव अधिकार " से जीवन, स्वतंत्रता, समानता और व्यक्ति की गरिमा से सम्बंधित ऐसे अधिकार अभिप्रेत है जो संविधान द्वारा प्रत्याभूत किए गए हैं या अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदाओं में सन्निविष्ट और भारत में न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय है |....."

17. इस न्यायालय की यह राय है कि 'मानव अधिकार' अभिव्यक्ति को संकीर्ण या रुढ़िवादी अर्थ नहीं दिया जा सकता है। यह केवल अभियुक्त के अधिकारों का उल्लेख नहीं करता है। मानवाधिकारों का प्रयोग यातना का विरोध करने और मनमाने ढंग से कैद करने से लेकर भूख की समाप्ति और चिकित्सा उपेक्षा का निर्धारण करने तक विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया गया है। वास्तव में मानवाधिकार प्रगतिशील और परिवर्तनकारी दोनों हैं।

<u>वर्तमान मामले में, सूचना/दस्तावेजों की आपूर्ति न करना मानवाधिकारों का उल्लंघन है जैसा कि उसके अनुपस्थिति में प्रत्यर्थी संख्या 2 अपने पदोन्नति के अधिकार को लाभ लेने में समर्थ नहीं होगा"</u>

18. यह स्थापित विधि है कि कर्मचारियों को पदोन्नति की उचित अपेक्षा होती है। अपीलार्थी का मामला यह नहीं है कि इसके कर्मचारी और अधिकारी

सेवा शर्तों और पदोन्नति के दोषपूर्ण प्रत्याख्यान संबंध में अपनी शिकायतों को दर्ज करने के लिए कानूनी कार्यवाही दायर नहीं कर सकते हैं| किसी भी प्रतिष्ठान/संगठन के स्तर पर सेवा-न्यायशास्त्र का उद्देश्य शांति और सद्भाव को बढ़ावा देना है और समाज के स्तर पर इसका उद्देश्य मानवाधिकारों को बढ़ावा देना है। यदि किसी प्रतिष्ठान के कर्मचारी न्यायिक मंचों के समक्ष अपनी शिकायतें नहीं रख सकते तो ये संगठन/प्रतिष्ठान निरंकुश हो सकते हैं।

19. वास्तव में, आरटीआई अधिनियम एक ऐसा उपकरण है जो कर्मचारियों और अधिकारियों को व्यवस्थित रूप से अपनी शिकायतों को व्यक्त करने में सुविधा प्रदान करता है। उद्देश्यों और कारणों के प्रकथन के अनुसार, आरटीआई अधिनियम का उद्देश्य और ध्येय प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए सूचना तक पहुंच सुनिश्चित करना है। यह कहा जाता है कि सूर्य का प्रकाश सर्वोत्तम कीटाणुनाशक होता है और आरटीआई अधिनियम इस अवधारणा को बढ़ावा देते हैं। परिणामतः सेवा और आरटीआई कानून दोनों ही समाज में सेफ्टी वाल्व की तरह काम करते हैं।

20. इस न्यायालय की राय में, किसी सुरक्षा प्रतिष्ठान के कर्मचारियों को केवल इसलिए उनके मूल और विधिक अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता कि वे एक आसूचना और सुरक्षा प्रतिष्ठान में काम करते हैं। ऐसा

मानना यह माने के सामान होगा कि इन संगठनों में काम करने वालों को कोई मानवाधिकार नहीं है।

21. यद्यपि, ***डॉ. नीलम भल्ला (पूर्वोक्त) वाद*** में खण्ड पीठ ने कहा है कि "... हम विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा व्यक्त किए गए विचार से सहमत हैं कि यद्यपि अपीलार्थी /याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई सूचना उसके सेवा रिकॉर्ड से संबंधित थी जिसका भ्रष्टाचार या मानवाधिकार उल्लंघन के किसी भी आरोप से कोई लेना-देना नहीं था ..", तथापि विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा जारी निर्णय (जो कि हममें से एक अर्थात मनमोहन, न्या. के द्वारा लिखा गया है) के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उस मामले में अपीलार्थी -याचिकाकर्ता ने गलत और अधूरी सूचना देने के लिए कुछ सरकारी अधिकारियों के विरूद्ध प्रतिकर और अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग की थी। परिणामतः, कथित निर्णय में टिप्पणियों को उस मुद्दे के प्रकाश में पढ़ा जाना चाहिए जो विचारण के लिए उत्पन्न हुआ था| इसके अलावा, ***डॉ. नीलम भल्ला*** (उपरोक्त) में मानवाधिकारों की अवधारणा पर न तो बहस की गई और न ही इस पर विचार किया गया। तदनुसार, पूर्वोक्त निर्णय अपीलार्थी को कोई सहायता प्रदान नहीं करता है|

22. यह न्यायालय अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के इस प्रस्तुतीकरण से भी सहमत नहीं है कि केवल वही सूचना प्रदान की जाती जो छूट प्राप्त संगठन

द्वारा सरकार को भ्रष्टाचार और मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों से संबंधित है।

23. यह उल्लेख करना भी उचित है कि प्रश्नगत आरटीआई आवेदन के माध्यम से प्रत्यर्थी राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर की गई किसी जांच या आसूचना या प्रच्छन्न कार्रवाई के संबंध में सूचना नहीं मांग रहा है| यह न्यायालय स्पष्ट करता है कि प्रत्यर्थी आरटीआई अधिनियम के तहत सूचना देने से इंकार करने के हकदार हो सकते हैं, यदि किसी मामले के तथ्य इस तरह से आवश्यक हों।

24. परिणामतः वर्तमान मामले में, सूचना/दस्तावेजों की गैर-आपूर्ति मानव अधिकारों का उल्लंघन है क्योंकि उसके अभाव में प्रत्यर्थी संख्या 2 अपने पदोन्नति के अधिकार का लाभ उठाने में समर्थ नहीं होगा।

आरटीआई अधिनियम की धारा 11 को ध्यान में रखते हुए तीसरे पक्ष की पदोन्नति के प्रस्तावों से संबंधित सूचना प्रत्यर्थी को प्रदान नहीं की जा सकती है |

25. तथापि, इस न्यायालय का विचार है कि आरटीआई अधिनियम की धारा 8(1)(जे) और 11 को ध्यान में रखते हुए तीसरे पक्षकारों के पदोन्नति के प्रस्तावों से संबंधित सूचना प्रत्यर्थी को उपलब्ध नहीं कराई जा सकती है।

26. परिणामतः, यह न्यायालय अपीलार्थी को यह निदेश देता हैं कि वे 1991 से लेकर अब तक की अवधि के लिए एलडीसी (अ.श्रे.लि) के संबंध में सभी

वरिष्ठता सूची की प्रतियां एवं बैठकों के कार्यवृत्त की प्रतियों के साथ-साथ वि.प.स. के समक्ष रखे गए प्रत्यर्थी (अ.श्रे.लि.) के पदोन्नति के प्रस्ताव की प्रतियों तथा समय-समय पर वि.प.स. की सिफारिशों पर जारी पदोन्नति/अस्वीकृति आदेश की प्रतियां मुहैया करें|

27. तदनुसार, वर्तमान अपील का निपटान उपर्युक्त निदेशों के साथ किया जाता है।

न्या.,मनमोहन

न्या.,सुधीर कुमार जैन

22 मार्च, 2022
के.ए

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*